**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 176**
**सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947, (शक)**

**निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा एवं सुरक्षा**

**176. श्री हरीश चंद्र मीनाः**
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कार्यजनित जोखिमों यथा कैंसर, मस्कुलोस्केलेटल रोग, श्वसन संबंधी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा निर्माण स्थलों पर स्टील के जूते, हार्ड हैट, ईयर मफलर, मास्क और हार्नेस जैसे सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित मौजूदा व्यावसायिक सुरक्षा कानूनों को लागू करने के लिए की-गई-पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा विशेषकर मोबाइल स्वास्थ्य और कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की पोर्टेबिलिटी के संबंध में प्रवासी निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार हेतु उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कितने निर्माण श्रमिकों की मृत्यु हुई है और इसमें मुआवजा दिए गए मामलों की संख्या, खारिज किए गए दावों की संख्या और देश में निपटान के लिए लंबित दावों के मामलों की संख्या का राजस्थान सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (घ): केंद्र सरकार श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 [बीओसीडब्ल्यू (आरई एवं सीएस) अधिनियम, 1996] और केंद्रीय नियम, 1998 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के नियोजन और सेवा-शर्तों को विनियमित करते हैं, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों तथा उनसे संबंधित या अन्य आकस्मिक मामलों का प्रावधान करते हैं। बीओसीडब्ल्यू केंद्रीय नियम, 1998 (नियम 34-232) में विस्तृत प्रावधान हैं जो निम्नानुसार हैं:

अध्याय VI में कामगारों की सुरक्षा, नेत्र सुरक्षा और विद्युत खतरों से सुरक्षा से संबंधित प्रावधान करता है, अध्याय XII में इमारतों को तोड़ने का कार्य करने वाले कामगारों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान हैं, अध्याय XIII खुदाई और सुरंग निर्माण कार्यों से संबंधित है, अध्याय XVI सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा जाल आदि के बारे में प्रावधान करता है, अध्याय XXI दुर्घटनाओं के मामले में रिपोर्टिंग की अनिवार्य प्रणाली, दुर्घटना की जांच प्रक्रिया आदि निर्धारित करता है, अध्याय XXIV सन्निर्माण कामगारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी प्रावधान करता है।

जारी..2/-

प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार ने अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 लागू किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि का प्रावधान करता है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक कपड़े आदि का भुगतान प्रदान किया जाना होता है।

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) [सीएलसी(सी)] संगठन अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न उपबंधों का प्रवर्तन करता है जिससे केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माण स्थलों में कार्यरत कामगारों के लिए सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जा सके। श्रम और रोजगार मंत्रालय की निरीक्षण योजना के अनुसार नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। राज्य श्रम विभाग अपने-अपने राज्यों में इसी प्रकार के निरीक्षण करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सन्निर्माण कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने के लिए, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), मुंबई में "सन्निर्माण सलाहकार सेवा (सीएएस) प्रभाग" बनाया गया है जिसने सन्निर्माण सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 22 के तहत राज्य कल्याण बोर्ड, दुर्घटना सहायता, पेंशन, आवास ऋण, समूह बीमा, शैक्षिक सहायता, प्रसूति प्रसुविधा और चिकित्सा लाभ जैसे लाभ प्रदान करते हैं।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के संबन्धित उपबंधों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (ओएसएच संहिता) और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस संहिता) में सम्मिलित किया गया है।

संबंधित राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा मृत्यु, दिए गए मुआवजे, अस्वीकृत या लंबित मुआवजे के संबंध में अद्यतन आँकड़ों का रख-रखाव किया जाता है। प्रमुख कारणों में गिरना, सड़क दुर्घटनाएं और करंट लगना शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 14 राज्यों अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब ने एबी-पीएमजेएवाई के तहत भवन/ सन्निर्माण श्रमिकों को कवर करने के लिए संबंधित राज्यों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****